भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1103**

दिनांक 09 मार्च, 2017 को उत्‍तर के लिए

**गर्भवती महिलाओं के लिए पोषक आहार**

**1103. श्री विष्‍णु चरण दास:**

क्‍या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी द्वारा ओडिशा में गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्‍चों की समस्‍या से निपटने के लिए क्‍या-क्‍या कदम उठाए गए हैं;

(ख) इस समस्‍या के समाधान हेतु राज्‍यों के लिए क्‍या सहायता/योजना अथवा मदद दिए जाने का प्रस्‍ताव है; और

(ग) सभी राज्‍यों को गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्‍चों को पोषक आहार प्रदान करना सुनिश्‍चित करने के लिए लक्षित तारीख क्‍या है?

**उत्‍तर**

श्रीमती कृष्‍णा राज महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍यमंत्री

(क) से (ग) : सरकार ने बच्‍चों तथा महिलाओं में कुपोषण की समस्‍या को विशेष रूप से उच्‍च प्राथमिकता दी है तथा पोषण से संबंधित किसी न किसी पहलू के निदान के लिए राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों के माध्‍यम से विभिन्‍न मंत्रालयों/विभागों की अनेक स्‍कीमें/कार्यक्रम चल रहे हैं । यह मंत्रालय ओडिशा राज्‍य सहित समूचे देश में समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्‍कीम चला रहा है ।

 समेकित बाल विकास सेवा(आईसीडीएस) स्‍कीम के अंतर्गत पूरक पोषण; स्‍कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा; पोषण से स्‍वास्‍थ्‍य शिक्षा; प्रतिरक्षण; स्‍वास्‍थ्‍य-जांच तथा रेफरल सेवाएं नामक 6 सेवाओं का पैकेज 6 वर्ष से कम आयु के बच्‍चों तथा गर्भवती और दुग्‍धपान कराने वाली महिलाओं को प्रदान किया जाता है पूरक पोषण (एस.एन.पी.) राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की अनुसूची-।। के अंतर्गत प्रदत्‍त पौषणिक मानदंडों के अनुसार आई.सी.डी.एस. लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है । पूरक पोषण (एस.एन.पी.) का अभिप्राय अनुशंसित आहार भत्‍ता (आर.डी.ए.) तथा औसत आहार खुराक (ए.डी.आई.) के बीच के अंतर को कम करना है ।

 मंत्रालय मातृत्‍व लाभ कार्यक्रम भी चला रहा है जो गर्भवती तथा दुग्‍धपान कराने वाली महिलाओं के लिए केंद्रीय तौर पर प्रायोजित सशर्त नकद अंतरण स्‍कीम है । यह स्‍कीम राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अनुसरण में कतिपय स्‍वास्‍थ्‍य तथा पोषण शर्तों को पूरा करने के बाद, 6,000/-रुपये दो किस्‍तों में प्रदान करके बालक के प्रसव-पूर्व तथा पश्‍च प्रसव दोनों में गर्भवती तथा दुग्‍धपान कराने वाली महिलाओं की मजदूरी क्षति की आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति करने का प्रयास करती है ।

\*\*\*\*\*